FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट दिनांक 28-11-2025 थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा लूट/अपहरण से सम्बन्धित अभियोगों में फरार चल रहे इनामिया अभियुक्त रामवीर उर्फ बीरा को पुलिस मुठभेड में किया गया गिरफ्तार।**
- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा वांछित अभियुक्त पर 15000 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।**
- **थाना दक्षिण पुलिस टीम की कार्यवाही में वांछित इनामिया अभियुक्त रामवीर उर्फ बीरा, पैर में गोली लगने से हुआ घायल, घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर , 02 खोखा कारतूस 315 बोर , 02 जिंदा कारतूस बरामद हुए।**
- **थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0स0 1288/2025 धारा 140(1) बीएनएस में अभियुक्त रामवीर उर्फ बीरा चल रहा था वांछित।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0स0 1288/2025 धारा 140(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रामवीर उर्फ बीरा की गिरफ्तारी हेतु 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 28-11-2025 को थाना दक्षिण पुलिस टीम को चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि मु0अ0सं0-1288/2025 में वांछित अभियुक्त रामवीर उर्फ बीरा लालऊ क्षेत्र के जंगलो में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा लालऊ के जंगलो के पास चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को बडी बाउंड्री लालऊ बिहारीपुर से आने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया तो पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी जबावी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लग गयी। अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तो उक्त संदिग्ध व्यक्ति की पहचान थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1288/2025 में वांछित अभियुक्त रामवीर उर्फ बीरा पुत्र अर्जुन सिंह निवासी हरदोई, थाना सैफई, जनपद इटावा के रुप में हुई। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है।

घटना का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त रामवीर उर्फ बीरा ने बताया कि 07.11.2025 को वह अपने साथियों मनीष, अभिषेक व राजकुमार के साथ ईको गाड़ी छीनने की नीयत से फिरोजाबाद आया था। चारों ने एक नई ईको गाड़ी आगरा जाने के बहाने रुकवाकर ड्राइवर को तमंचे के बल पर कब्जे में लिया, उसके हाथ-पैर बाँधे और सुनसान जगह ले जाकर मनीष व अभिषेक ने मफलर से चालक की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में सभी ने शव को ठिकाने लगाने हेतु शिकोहाबाद से बोरा खरीदा और 08.11.2025 को सिरसागंज के पास सर्विस रोड की मक्का कर्ब में डालकर आग लगा दी।

अभियुक्त का नाम व पता-

1- रामवीर उर्फ बीरा पुत्र अर्जुन सिंह निवासी हरदोई, थाना सैफई, जनपद इटावा।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोर,
2. 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास उपरोक्त अभियुक्त रामवीर उर्फ बीरा-

01. मु0अ0स0- 1288/2025 धारा 140(1)/309(4)/3(5) बीएनएस थाना दक्षिण फिरोजाबाद
02-मु0अ0स0-143/25 धारा 305 (e)/317(2) BNS थाना सैफई जनपद इटावा
03-मु0अ0स0-149/25 धारा 305 (e)/317(2) BNS थाना सैफई जनपद इटावा
04- मु0अ0स0-205/25 धारा 303 (2)/317(2) BNS थाना सैफई जनपद इटावा
05 मु0अ0स0- 1316/25 धारा 109/352 BNS थाना थाना दक्षिण फिरोजाबाद
06-मु0अ0स0-1317/25 धारा 3/25 A.ACT थाना थाना दक्षिण फिरोजाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 योगेन्द्रपाल सिह थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
2.उ0नि0 योगेश कुमार थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
3.उ0नि सिंहराज सिंह थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
4.उ0नि0 अरुण कुमार थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
5.हे0का0 145 पुष्पेन्द्र थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
6.का0 504 गजेन्द्र सिंह थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
7. का0 1038 अमित कुमार थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
8. का0 487 बलराम थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
9-का0 139 कुलदीप कुमार थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
10-का0 135 ओमकार सिह थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।